एम. पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

विज्ञापन

क्रमांक 6205 /स्था/प्रशा/पविनि/2011 **दिनांक 31/05/2011**

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल द्वारा संचालित इकाइयों/कार्यालयों/सूचना केन्द्रों आदि में कार्य हेतु मानव संसाधन की समय–समय पर होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकृत एजेंसियों/संस्थाओं से निविदा फार्म में उल्लेखित शर्तो के अंतर्गत सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र निगम की वेब साईट (www.mptourism.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक संस्थाऐं निर्धारित निविदा प्रपत्र भरकर दिनांक 16/06/2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल में जमा कर सकते है। निविदा के साथ ₹ 5000/– निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि ₹ 1.00 लाख के डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किये जाने आवश्यक होगें। निर्धारित अवधि तक प्राप्त निविदाऐं दिनांक 16/06/2011 को सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल में खोली जायेंगी।

प्रबंध संचालक

MPM/55/102

निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 5000/–

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम : .....

2. पता. (अ) कार्यालय : .....

.....

.....

(ब) निवास का पता : .....

.....

.....

3. दूरभाष क्रमांक (निवास) ..... (कार्या.) .....

मोबाईल .....

4. (अ) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... राशि ₹ 5000/–

(ब) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक .....राशि ₹1.00 लाख

बैंक का नाम ..... स्थान .....

5. मानव संसाधन (श्रमिकों) को श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा निर्धारित मिनिमम बेजेस का भुगतान किया जावेगा साथ ही समय–समय पर निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में मिनिमम वेजेस का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।

6. एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन कर्मचारी भविष्य निधि/श्रम कार्यालय/ई.एस.आई. में होना अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति संलग्न की जावेगी।

(1) सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक .....

(2) आयकर विभाग का पेन क्रमांक .....

(3) कर्मचारी भविष्य निधि की पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .....

(4) ई.एस.आई. का प्रमाण पत्र क्रमांक .....

(5) विगत दो वर्षो (2008–09 एवं 2009–10) की (Balanes Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। अंतिम वर्ष 2010–2011 से संबंधित गतिविधियों का टर्न ओवर 5.00 करोड अथवा इससे अधिक होना चाहिए। अंतिम वर्ष 2010–2011 का टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(6) विगत वर्ष 2008–2009 एवं 2009–2010 का कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा जारी अनुपालन (कम्पलाईन्स) प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7 संस्था द्वारा यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग को श्रमिक उपलब्ध कराया गया हो, तो उनके आदेश कि प्रति तथा संस्था कि कार्यकुशलता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

8. कम्पनी की दशा में मेमोरेण्डम Memorandum and Articles of Association व संचालको की सूची, साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी प्रलेख व साझेदारी का विवरण दिया जावे।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम : .....

2. पता. (अ) कार्यालय : .....

.....

.....

(ब) निवास का पता : .....

.....

.....

3. दूरभाष क्रमांक (निवास) ..... (कार्या.) .....

मोबाईल .....

4. मानव संसाधन श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निगम से लिया जाने वाला शुल्क की राशि

₹ .....(प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

नियम एवं शर्ते

निविदाकर्ता को निम्नलिखित नियम एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. (अ) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के मूल्य की राशि ₹ 5000/– का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना है, तो वापस नही की जावेगी।

(ब) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 1.00 (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना होगा। उक्त ड्राफ्ट निविदा खुलने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष निविदाकर्ता का ड्राफ्ट एक माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से वापिस कर दिया जावेगा।

2. उक्त दोनों ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाये जा सकते है। **ड्राफ्ट "प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन भोपाल" के पक्ष में देय होगा।**

3. सफल प्रथम निविदाकर्ता को 15 दिवस के अन्दर अनुबंध निष्पादित कर श्रमिक उपलब्ध कराने होगे अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा, तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

4. यदि प्रथम निविदाकर्ता द्वारा 15 दिवस कि समय सीमा में अनुबंध निष्पादित कर मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो द्वितीय सफल निविदाकर्ता को समय दिया जावेगा तथा उनके द्वारा भी यदि अनुबंध निष्पादित कर मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राशि राजसात कर ली जावेगी परन्तु यदि प्रथम निविदाकर्ता द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो द्वितीय निविदाकर्ता को उक्त ड्राफ्ट दो माह के अंदर वापिस लौटा दिया जावेगा।

5. मानव संसाधन श्रमिको के कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नियोक्ता एवं श्रमिको के अंशदान की राशि का भुगतान निगम द्वारा सीधे संबंधित कार्यालयों में किया जावेगा। अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन संबंधित मानव संसाधन एजेन्सी को ही करना होगा।

6. निगम द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान संबंधित एजेन्सी को किया जावेगा तथा संबंधित एजेन्सी द्वारा टैक्स की राशि जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति निगम को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

7. निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा) समस्त दस्तावेजों सहित एक लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जावेगा तथा लिफाफे पर "**तकनीकी निविदा प्रपत्र**" अंकित किया जावे। दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र रखा जाकर सील बन्द किया जावे तथा लिफाफे पर "**वित्तीय निविदा प्रपत्र**" अंकित किया जावे। उक्त दोनों लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जाकर जमा किया जावे। सभी लिफाफो पर एजेन्सी का नाम एवं पता लिखा जावे।

8. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है :–

   (1) संबंधित एजेन्सी का पंजीयन कर्मचारी भविष्य निधि, श्रम कार्यालय, ई.एस.आई. आदि में होना चाहिये तथा उनकी फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावेगी।

   (2) सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक .....

(3) आयकर विभाग का पेन क्रमांक .....

(4) कर्मचारी भविष्य निधि की पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .....

(5) ई.एस.आई. का प्रमाण पत्र क्रमांक .....

(6) श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक .....

9. विगत दो वर्षो (2008–09 एवं 2009–10) की (Balanes Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। अंतिम वर्ष 2010–2011 का टर्न ओवर 5.00 करोड अथवा इससे अधिक होना चाहिए। अंतिम वर्ष 2010–2011 का टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

10. विगत वर्ष 2008–2009 एवं 2009–2010 का कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा जारी अनुपालन (कम्पलाईन्स) प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11. अनुभव प्रमाण पत्र :–

एजेन्सी द्वारा यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान को मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया हो तो उनके आदेश कि प्रति संलग्न की जावे तथा संबंधित विभाग से कार्यानुभव प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

12. मानव संसाधन (श्रमिकों) को श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा निर्धारित मिनिमम बेजेस का भुगतान किया जावेगा साथ ही समय–समय पर निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में मिनिमम वेजेस का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।

13. सफल निविदाकर्ता को निगम की शर्तो के अनुसार ₹ 100/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।

14. एजेन्सी द्वारा संबंधित मानव संसाधन के बायोडाटा संबंधी जानकारी रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति निगम को भी एक माह कि समय सीमा में उपलब्ध करानी होगी।

15. एजेन्सी द्वारा सभी मानव संसाधन को प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा तथा भुगतान की गई राशि के आधार पर देयक तैयार कर 10 तारीख तक निगम मुख्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा उसी माह की 20 तारीख तक कर दिया जावेगा।

16. एजेन्सी द्वारा प्रत्येक श्रमिक के पारिश्रमिक का भुगतान माह कि 7 तारीख तक करना अनिवार्य होगा, यदि निर्धारित तिथि तक पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी द्वारा न किये जाने पर ₹ 200/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कि दर से एजेन्सी से दण्ड स्वरूप वसूल किया जावेगा।

17. एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्यालय/ईकाई पर एक उपस्थिति पंजी रखी जावेगी। जिसके आधार पर उन्हें भुगतान किया जावेगा। उपस्थिति पंजी कि एक प्रति देयक के साथ लगाया जावेगा जो संबंधित इकाई प्रबंधक द्वारा प्रमाणित होगी, जिसके आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा।

18. प्राप्त निविदा पत्रों को मान्य/अमान्य करने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक महोदय को होगा।

19. निविदाकर्ता एवं एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर प्रबंध संचालक महोदय का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

21. सफल निविदाकर्ता से सुरक्षा निधि के रूप में ₹ 50.00 (पचास लाख मात्र) की बैंक गारंटी ली जावेगी, जिसकी अवधि अनुबंध समाप्ति के एक वर्ष बाद तक होगी।

22. यदि श्रमिकों के द्वारा निगम की चल/अचल सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।

23. सभी श्रमिकों के सी.पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का हिसाब रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी कि होगी।

24. प्रत्येक श्रमिक को प्रतिमाह वेतन स्लिप अनिवार्य रूप से देना होगा।

25. यदि श्रमिक एवं नियोक्ता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा। एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

26. उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के नियोजन कि पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी कि होगी तथा श्रमिकों के किसी भी प्रकार के दावे, नियोजन, नियमितीकरण कि जिम्मेदारी एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की नहीं होगी।

27. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये, मानव संसाधन के संबंध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम नियमों के पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा कोई बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित एजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

28. श्रमिकों कि समस्याओं के निराकरण हेतु एजेन्सी के 02 कर्मचारी निगम मुख्यालय, भोपाल में प्रतिदिन बैठेगें, जिनके बैठने के लिए स्थान निगम मुख्यालय, भोपाल में उपलब्ध कराया जावेगा, जिससे दिन–प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण तत्काल हो सके।

29. मानव संसाधन के पारिश्रमिक का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा NEFT/RTGS/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जावेगा एवं चैक/ड्राफ्ट से भुगतान उसी स्थिति में किया जावेगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नही है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेगा।

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को भोपाल में एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, जिन्हें आगे प्रथम पक्षकार कहा गया है, एवं .... भोपाल जिन्हें आगे द्वितीय पक्षकार कहा गया है, के मध्य विभिन्न कार्यो हेतु श्रमिक प्रदाय करने के लिये निम्न शर्तो पर अनुबंध निष्पादित किया जाता है, यह अनुबंध दिनांक ..... से प्रभावशील होगा :–

नियम एवं शर्ते :–

1. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रदाय किये गये श्रमिकों के द्वारा प्रथम पक्षकार की चल/अचल सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पॅहुचाये जाने पर, नुकसान की गई सम्पत्ति की प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्षकार द्वारा उसी माह में की जावेगी, अन्यथा प्रथम पक्षकार को अधिकार होगा कि उक्त राशि की वसूली द्वितीय पक्षकार को किये जाने वाले भुगतान से वसूल कर लें।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार की मांग अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अंदर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यो के लिये श्रमिक उपलब्ध करायेगा, तथा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की पूर्ण जानकारी अपने पास रखेगा एवं कार्यालय के रिकार्ड हेतु एक प्रति प्रथम पक्षकार को भी उपलब्ध करायेगा।
3. यह कि उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की रहेगी। द्वितीय पक्षकार, रखे गये श्रमिको को पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रतिमाह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से करेगा।
4. यह कि मानव संसाधन (श्रमिकों) को श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा निर्धारित मिनिमम बेजेस का भुगतान किया जावेगा साथ ही समय–समय पर निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में मिनिमम वेजेस का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।

5. यह कि श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह कि 7 तारीख को न किये जाने पर ₹ 200/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दण्ड स्वरूप द्वितीय पक्ष से बसूल किया जावेगा।

6. यह कि पारिश्रमिक भुगतान उपरान्त द्वितीय पक्ष द्वारा देयक भुगतान हेतु प्रत्येक माह कि 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा जिसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर द्वितीय पक्षकार को कर दिया जावेगा।

7. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा मानव संसाधन श्रमिको के कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के नियोक्ता एवं श्रमिको के अंशदान की राशि का भुगतान सीधे संबंधित कार्यालयों में किया जावेगा। अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

8. यह कि बिन्दु क्रमांक 2,3,4,5,6 एवं 7 का पालन न करने पर श्रमिक एवं नियोक्ता के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर द्वितीय पक्षकार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्षकार की कोई जबावदारी नहीं होगी।

9. यह कि पक्षकार क्रमांक एक, पक्षकार क्रमांक 2 को प्रति श्रमिक की दर से निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

(अ) निर्धारित मिनिमम वेजेस पर 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान + 1.61 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार, एवं 4.75 प्रतिशत ESI का भुगतान किया जावेगा। ESI केवल उन्हीं श्रमिको को देय होगा जहॉ पर बीमा चिकित्सालय उपलब्ध है, जिसकी सूची द्वितीय पक्षकार द्वारा 15 दिवस के अन्दर दी जावेगी। शेष अन्य स्थानों के श्रमिकों को ESI का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(स) नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान किया जावेगा।

(द) द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयक की राशि पर नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती प्रथम पक्षकार द्वारा की जावेगी जिसका प्रमाण पत्र द्वितीय पक्षकार को दिया जावेगा।

10. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसकी संबंधित प्रति पक्षकार क्रमांक एक को अनुबंध के साथ प्रदाय की जावेगी।

11. यह कि द्वितीय पक्षकार का कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्ट्रेशन एवं खाता होना आवश्यक है जिसकी सत्यापित प्रति पक्षकार क्रमांक 1 को अनुबंध निष्पादित करते समय प्रदाय करना होगी।

12. यह कि श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये, जो अशक्त रोगी एवं आपराधिक प्रवत्ति का न हो। विशेष योग्यता या तकनीकी श्रेणी के श्रमिको के लिये प्रथम पक्षकार द्वारा आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

13. यह कि श्रमिक का कार्य संतोषजनक न होने पर उनके स्थान पर पक्षकार क्रमांक 2 द्वारा दूसरा श्रमिक तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

14. यह कि अनुबंध की अवधि, अनुबंध दिनांक से आगामी **तीन (03) वर्ष** की होगी।

15. यह कि श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लगाये गये श्रमिकों के समस्त प्रकार के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान आदि के भुगतान करने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का ही होगा, तथा प्रथम पक्षकार का श्रमिकों के किसी भी प्रकार के देय दावो एवं अन्य न्यायालयीन विवादों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

16. यह कि श्रमिक को प्रदाय किये जाने वाले वेतन से संबंधित वेतन विवरण पत्रक प्रतिमाह पक्षकार क्रमांक–2 द्वारा संबंधित श्रमिक के वेतन पर्ची के साथ अनिवार्य रूप से प्रथम पक्षकार को दिया जावेगा।

17. यह कि कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त सी.पी.एफ. स्लिप पक्षकार क्रमांक–2 द्वारा संबंधित श्रमिक को देना होगी।

18. यह कि पक्षकार क्रमांक–2 द्वारा सी.पी.एफ./ई.डी.एल.आई./ई.एस.आई. आदि मदो में जमा की गई राशि से संबंधित चालान एवं विवरण पत्रक की फोटोप्रति प्रतिमाह अनिवार्य रूप से पक्षकार क्रमांक–1 को दी जावेगी।

19. यह कि श्रमिकों के नियोजन की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की ही होगी, तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के किसी भी तरह के दावे नियोजन, नियमितीकरण की जवाबदारी प्रथम पक्षकार की नहीं होगी।

20. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के कार्य में किसी भी प्रकार की शिशिलता अथवा लापरवाही के कारण निगम को हुई क्षति के लिये सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्षकार की होगी तथा हानि/क्षति/नुकसान के मूल्यांकन के अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्षकार के द्वारा प्रथम पक्षकार को किया जावेगा।

21. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा लगाया गया कोई भी कर्मी कार्य के दौरान मादक पदार्थ/पेय या औषधि का सेवन नहीं करेगा और यदि ऐसा पाया जाता है तो इस कृत्य के फलस्वरूप हुआ/किया गया, कोई भी नुकसान द्वितीय पक्षकार से वसूली योग्य होगी।

22. यह कि इस अनुबंध की शर्तो से संबंधित एवं अनुबंध की अवधि में अथवा बाद में यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो इसी स्थिति में विवाद का अंतिम निर्णय एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा, जो द्वितीय पक्षकार को स्वीकार होगा। अस्वीकारोक्ति की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला भोपाल होगा।

23. यह कि उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे–फोटो, परिचय पत्र, स्थाई/स्थानीय पता विवरण, पुलिस परीक्षण, आदि की जानकारी पक्षकार क्रमांक–2 द्वारा संधारित की जाएगी, इसकी एक प्रति प्रथम पक्षकार को भी देनी होगी।

24. मेसर्स ..... द्वारा ₹ 50.00 लाख (पचास लाख मात्र) की बैंक गारन्टी धरोहर राशि के रूप में दी जावेगी। उक्त बैंक गारन्टी अनुबंध अवधि के 1 वर्ष बाद तक होगी।

25. यह कि यह अनुबंध स्थाई व्यवस्था होने तक प्रभावशील रहेगी अथवा प्रथम पक्षकार या द्वितीय पक्षकार द्वारा तीन (03) माह का अग्रिम नोटिस दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।

26. यह कि द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोष जनक न पाये जाने पर प्रथम पक्षकार आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए एक माह की सूचना पर अनुबंध निरस्त कर देगा।

27. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

28. अनुबंध समाप्त होने पर द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावेगा। जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर गारन्टी राशि एवं सुरक्षा निधि की राशि को राजसात किया जावेगा।

29. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रत्येक इकाई/कार्यालय में एक उपस्थिति पंजी रखी जावेगी। उपस्थिति पंजी की छायाप्रति देयक के साथ प्रस्तुत की जावेगी, उक्त छायाप्रति संबंधित इकाई प्रबंधक द्वारा सत्यापित की जावेगी।

30. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के संबंध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम नियमों के पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिये द्वितीय पक्षकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

31. द्वितीय पक्षकार द्वारा अपना दो कर्मचारी कम्प्यूटर सहित निगम मुख्यालय भोपाल में प्रतिदिन उपलब्ध करायेगा जो दिन–प्रतिदिन होने वाली शिकायतों का निराकरण करावेगा, जिनके बैठक व्यवस्था हेतु स्थान प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

32. भविष्य निधि कार्यालय एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यदि अनुबंध की अवधि के दौरान मानव संसाधन के इलेक्ट्रॉनिक पजीयंन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो प्रत्येक मानव संसाधन का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी व इसकी जानकारी द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को दी जावेगी।

33. यह कि मानव संसाधन के पारिश्रमिक का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा NEFT/RTGS/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जावेगा एवं चैक/ड्राफ्ट से भुगतान उसी स्थिति में किया जावेगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नही है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेगा।

प्रथम पक्षकार **द्वितीय पक्षकार**

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

.....
.....
.....

गवाह

1. .....

2. .....

गवाह

1. .....

2. .....